झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–270 वर्ष 2017

पिंकी कुमारी, स्वर्गीय कॉलेश्वर यादव की विधवा, निवासी ग्राम–कृष्णा नगर, डाकघर–रेवाली, थाना–कटकमदाग, जिला–हजारीबाग

.... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची
3. जिला शिक्षा अधीक्षक, हजारीबाग, डाकघर एवं थाना–हजारीबाग, जिला–हजारीबाग
4. सचिव/प्रधानाध्यापक, अन्नादा शिशु विद्यालय, कृष्ण नगर, हजारीबाग, डाकघर–रेवाली, थाना–कटकमदाग, जिला–हजारीबाग

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री पमाथ पटनायक**

याचिकाकत्तां के लिए :– श्री एम0एम0 पान, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– श्री प्रशांत कु0 सिंह, जी0पी0–VI

2/दिनांकः 30वीं जनवरी, 2017

1. तत्काल रिट आवेदन में, याचिकाकर्त्ता ने अन्य बातों के साथ–साथ देय राशि पर अनुपयुक्त छुट्टी के लिए छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए उत्तरदाताओं को रिट/निर्देश के लिए प्रार्थना की है क्योंकि उसके पति की मृत्यु के बाद भी याचिकाकर्त्ता को इसका भुगतान नहीं किया गया है।

2. तथ्य, जैसा कि रिट आवेदन में खुलासा किया गया है, यह है कि याचिकाकर्त्ता के पति को वर्ष 1995 में अन्नादा शिशु विद्यालय, कृष्णा नगर, हजारीबाग में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और दिनांक 19.08.2008 को प्रभारी प्रधानापध्यापक, अन्नादा शिशु विद्यालय, कृष्णा नगर, हजारीबाग के रूप में काम करते हुए उनकी मृत्यु सेवाकाल में हो गई। जिस स्कूल से याचिकाकर्त्ता सेवानिवृत हुआ है, वह सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूल है और विचाराधीन स्कूल के कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत लाभों के भुगतान की दिशा में सभी खर्च सरकारी खजाने से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित और निधित किया जा रहा है।

3. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

4. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह कहा कि याचिकाकर्त्ता की शिकायत बहुत संकीर्ण दायरों में निहित है और डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 506, 509 और 512 वर्ष 2013 में पारित इस न्यायालय के निर्णय से पूरी तरह से आच्छादित है। जहां तक अवकाश नकदीकरण के भुगतान के लिए मुद्दा है, याचिकाकर्त्ता का पति एक सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूल का सेवानिवृत कर्मचारी है और यह मुद्दा

अनिर्णीत विषय नहीं है, इस न्यायालय के द्वारा मरियम तिर्की बनाम झारखण्ड राज्य और अन्य में पारित किए गए निर्णय के मद्देनजर जो (2014 (1) जे0बी0सी0जे0 465) में रिपोर्ट की गई और अब माननीय उच्चतम न्यायालय के स्पेशल लीव टू अपील (सी) संख्या (एस) 20606–20607/2014 में पारित दिनांक 15.12.2014 के निर्णय द्वारा पुष्टि किया गया। तद्नुसार, याचिकाकर्त्ता को छुट्टी नकदीकरण राशि के भुगतान के लिए दिए गए निर्णय के मद्देनजर रिट याचिका का निपटान किया जा सकता है।

5. उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि गैर–सरकारी अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षक को देय अवकाश नकदीकरण से संबंधित उपरोक्त मुद्दा जो मरियम तिर्की (ऊपर) के मामले में दिए गए निर्णय द्वारा तय किया गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।

6. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका को याचिकाकर्त्ता के पति के संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद छुट्टी नकदीकरण राशि देने के मामले में याचिकाकर्त्ता की ओर से अभ्यावेदन के साथ आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर मरियम तिर्की (ऊपर) के मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश देते हुए, निस्तारण किया जाता है।

7. तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)